राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, 2227555, Fax: 2227602, Help Line)

क्रमांक : रालसा/2015/25142 दिनांक 27.2.2015

प्रेषिति :-

श्रीमान् अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
उदयपुर (राज.)

विषय : कर्मचारियों को लोक अदालत के कार्य की एवज में मानदेय भुगतान किये जाने बाबत्।

सन्दर्भ : आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक स्थापना / 2015 / 195 दिनांक 6.1.2015

महोदय,

आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है कि लोक अदालत के मानदेय में वेतन का तात्पर्य मूल वेतन से है। इसमें मंहगाई भत्ता शामिल नहीं है। आपके द्वारा उद्धृत राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(24) की टिप्पणी में चिकित्सा अधिकारी के नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ते को वेतन की श्रेणी में महंगाई भत्ता की गणना के प्रयोजन से शामिल करने का प्रावधान है जो प्रश्नगत मानदेय से सुसंगत नहीं है अत: लोक अदालत के मानदेय के रूप में सिर्फ मूल वेतन के रूप में राशि देय है।

प्रति माह आयोजित होने वाली लोक अदालतों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य सरकार को लोक अदालत के कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसके स्वीकृत होने पर तदनुसार मानदेय में वृद्धि होनी है अत: तब तक प्रति माह दो दिन के मूल वेतन के रूप में मानदेय दिया जावे।

न्यायिक अधिकारीगण को लोक अदालत बैंच में कार्य करने के लिए 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) का मानदेय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 में अलग से निर्धारित है जो लिपिक वर्गीय राजपत्रित अधिकारी को लोक अदालत के मानदेय के संबंध में सुसंगत नहीं है। चूंकि, राज्य सरकार के परिपत्र में राजपत्रित अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है अन्यथा भी पूरे न्याय क्षेत्रों में अधिकतम एक दो कर्मचारी राजपत्रित की श्रेणी में आते हैं जिनके द्वारा लोक अदालत के नोटिस आदि जारी करने का काम नहीं किया जाता है अत: राजपत्रित कर्मचारीगण को लोक अदालत का मानदेय देय नहीं है बाकी पूर्वानुसार अपने कार्य के अतिरिक्त लोक अदालत का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारीगण प्रति माह दो दिन के मूल वेतन के बराबर मानदेय पाने के अधिकारी हैं।

सादर!

भवदीय
Sd.
सतीश कुमार शर्मा
सदस्य सचिव